भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2838

12 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

आंध्र प्रदेश में ओडीओपी योजना का कार्यान्वयन

2838. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:
श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत अभिनिर्धारित उत्पादों की जिला-वार सूची क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में ओडीओपी के तहत स्थापित जन सुविधा केंद्रों (सीएफसी) का ब्यौरा क्या है, जिसमें कुल परियोजना लागत, प्रदान की गई वित्तीय सहायता और वर्तमान परिचालन स्थिति शामिल है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में उन कारीगरों, एमएसएमई, लघु व्यवसायों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें ओडीओपी विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत विशेषकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों अथवा प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(घ) ओडीओपी वित्त सहायता योजना (मार्जिन मनी स्कीम) के अंतर्गत संवितरित मार्जिन मनी की कुल राशि और कवर की गई परियोजना लागत प्रतिशतता सहित लाभान्वित कारीगरों और एमएसएमई की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में ओडीओपी कौशल विकास योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कारीगरों, आयोजित प्रशिक्षण का प्रकार और कारीगरों को प्रदान किए गए उन्नत टूलकिट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई)" योजना के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य के 26 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की पहचान की गई है। जिलेवार सूची **अनुबंध** में दी गई है।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य में, 31 अक्टूबर 2024 तक इस योजना के तहत ओडीओपी और अन्य उत्पाद लाइनों के साथ इनक्यूबेशन केंद्रों के 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमएफएमई योजना के तहत अनुमोदित इनक्यूबेशन केंद्रों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	ज़िला	मेजबान संस्थान का नाम	अनुदान सहायता स्वीकृत (लाखों में)	अनुदान सहायता जारी (लाखों में)
1.	तिरुपति	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)	260.75	238.00
2.	विशाखापत्तनम	आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन, अनाकापल्ले में	350.00	100.00

(ग) से (ङ): सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन पटल पर रखा जाएगा।

*****

अनुबंध

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर हेतु "आंध्र प्रदेश में ओडीओपी योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2838 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आंध्र प्रदेश		
क्र. सं.	**ज़िला**	**ओडीओपी**
1	अनंतपुर	मूंगफली उत्पाद
2	चित्तूर	टमाटर आधारित उत्पाद
3	पूर्वी गोदावरी	केला
4	गुंटूर	मसाले (मिर्च और हल्दी)
5	कडपा	केला आधारित उत्पाद
6	कृष्ण	मछली और झींगा आधारित उत्पाद
7	कुरनूल	दाल आधारित उत्पाद
8	नेल्लोर	चावल आधारित उत्पाद (जैसे फ्लेक्ड और पफ्ड)
9	प्रकाशम	दाल आधारित उत्पाद
10	श्रीकाकुलम	काजू आधारित उत्पाद
11	विशाखापत्तनम	आरटीई और आरटीसी (जैसे पारंपरिक स्थानीय स्नैक्स)
12	विजयनगरम	मिलेट (जैसे रागी और कोरा)
१३	पश्चिमी गोदावरी	मछली एवं समुद्री आधारित उत्पाद
14	पार्वतीपुरम मन्याम	लघु वन उपज (जैसे इमली और आंवला)
15	अल्लूरी सीताराम राजू	कॉफी
16	अनकापल्ली	गन्ना (जैसे गुड़ के क्यूब, पाउडर और तरल गुड़)
17	काकीनाडा	मछली और झींगा आधारित उत्पाद
18	कोनासीमा	नारियल
19	एलुरु	दालें (जैसे काला चना और हरा चना)
20	एनटीआर	आरटीसी और आरटीई (उदाहरणार्थ उलवाचारु)
21	पलनाडु	दालें (जैसे विनुकोंडा लाल चना)
22	बापतला	मसाले (जैसे मिर्च और हल्दी)
23	नांदयाल	मिलेट आधारित उत्पाद
24	श्री सत्य साईं	मूंगफली
25	तिरुपति	आरटीसी और आरटीई (जैसे बंगाल चना मुरुकु)
26	अन्नमय्या	इमली
कुल		**26**

*****